**प्रेस नोट** **दिनांक 31.03.2026**

**01 वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार घटना में प्रयुक्त 01 अदद बधारी (हसिया) बरामद कर गिरफ्तार-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री इलामारन जी के द्वारा जनपद में वांछित व पुरुस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने विरुद्ध व्यापक अभियान चलाकर वाँछित व पुरुस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के नेतृत्व में दिनांक 31.03.2026 कोतवाली नगर पुलिस टीम उ0नि0 राजेश कुमार व का0 सत्येन्द्र कुमार यादव के जनसुनवाई की कार्यवाही के पश्चात देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति तथा डग्गामार वाहनों की चेकिंग, जाँच पेण्डिंग एहकामात में वाँछित अभियुक्त की तलाश में बलिया मोड़ पर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त रामप्यारे भीटी चौक पर स्थित दुर्गामन्दिर के प्रांगण मे छिपकर बैठा है अगर जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर अभियुक्त रामप्यारे पुत्र झिन्नू निवासी मुसरदह भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 58 वर्ष को दुर्गामंदिर प्रांगण से समय 10.40 बजे गिरफ्तारी पुलिस लिया गाय। अभियुक्त रामप्यारे उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>**

**रामप्यारे पुत्र झिन्नू निवासी मुसरदह भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 58 वर्ष**

**<u>आपराधिक इतिहासः-</u>**

1. मु0अ0स0 92/2026 धारा धारा 115(2)/351(2)/333/109(1)/325 BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मऊ

**<u>गिरफ्तारी टीमः-</u>**

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

2. उ0नि0 राजेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. का0 सत्येन्द्र कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

**ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 04 अभियुक्तो को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व ₹26000 के अर्थदंड से हुये दंडित–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31-03-2026 को मु0अ0सं0 101/2012 धारा 147,323,325,304,308,504,506 भादवि थाना चिरैयाकोट मे दोषसिद्ध अभियुक्तगण अच्छेलाल पुत्र रामदास, जितेंद्र कुमार पुत्र अच्छेलाल, सुरेंद्र कुमार पुत्र अच्छेलाल, अंगद कुमार पुत्र अच्छेलाल निवासीगण मनाजीत थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं ₹26000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार का0 सुधीर कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

**आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2000 अर्थदंड से हए दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मऊ द्वारा द्वारा दिनांक 31-03-2026 को मु0अ0सं0 135/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना हलधरपुर जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त श्रवण चौहान पुत्र रामजीत चौहान निवासी मऊकुबेर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।